बी - राइड

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

कॉरिडोर 2 की प्रगति संबंधी अपडेट: बैय्यप्पनहल्ली-चिक्कबाणावरा मल्लिगे लाइन

बानसवाड़ी में राफ्ट सुदृढ़ीकरण कार्य तथा मल्लिगे लाइन के कस्तूरी नगर में पी 7 के लिए पियर शटर लगाने और पी 2 एवं पी 3 के लिए पोर्टल बीम क्रिब स्टेजिंग कार्य प्रगति पर है।

SEMU (एसईएमयू) - प्रगति संबंधी अपडेट : कॉरिडोर-2 और कॉरिडोर-4

बेंगलुरु को हरा-भरा बनाना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के माध्यम से जीकेवीके तथा एनपीकेएल में बीडीए और बीबीएमपी के साथ मिलकर 1:10 के वृक्षारोपण अनुपात के तहत 87,000 पौधे लगाए गए, जो केआरआईडीई की सतत शहरी अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ट्रैक दोहरीकरण परियोजना: कार्य प्रगति बैय्यप्पनहल्ली - होसुर (48 किमी) के बीच

ब्रिज नंबर 474 (प्रमुख पुल), अनेकल स्टेशन भवन निर्माण कार्य और बेलंदूर रोड स्टेशन पर अस्थायी ट्रैक डायवर्जन के लिए प्लेटफार्म कार्य पूरे हो चुके हैं।

Bi-RIDE

बेंगलूरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पेज नं.
1.	निदेशक मंडल	4
2.	चतुर्थ वार्षिक आमसभा की सूचना	5
3.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	9- 15
4.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	16-27
5.	31.03.2025 तक का तुलन पत्र (बैलेंस शीट)	28
6.	31.03.2025 तक का लाभ एवं हानि विवरण	29
7.	31.03.2025 तक का नकदी प्रवाह विवरण	31
8.	31.03.2025 तक वित्तीय विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियाँ	32-49
9.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ	53

पंजीकृत कार्यालय :

संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर), ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर पहला ब्लॉक, बैंगलोर - 560 010

Bi-RIDE

निदेशक मंडल

डॉ. शालिनी रजनीश, IAS	अध्यक्ष
श्री तुषार गिरि नाथ, IAS	नामांकित निदेशक, कर्नाटक सरकार
श्री लक्ष्मण सिंह, IRSE	प्रबंध निदेशक, बी-राइड
डॉ. विशाल आर., IAS	नामांकित निदेशक, कर्नाटक सरकार
श्री संजीव कुमार गर्ग, IRSE	नामांकित निदेशक, रेल मंत्रालय
श्री सी. एम. रंगनाथ, IRSE	नामांकित निदेशक, रेल मंत्रालय
श्रीमती कुसुमा हरिप्रसाद, IRAS	नामांकित निदेशक, रेल मंत्रालय
श्रीमती आडिवेप्पा पावटे अपर्णा, KAS	नामांकित निदेशक, कर्नाटक सरकार
श्री राजेश कुमार सिंह, IRSE	पूर्णकालिक निदेशक
श्री अवधेश मेहता, CA, ICWA, CPA	पूर्णकालिक निदेशक

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक	**बी.एन. पाई एण्ड कंपनी** बेंगलूरु

बैंकर्स

केनरा बैंक	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**
बेंगलूरु प्राइम कार्पोरेट शाखा, बेंगलूरु - 560001	ओवरसीज ब्रांँच नंबर 65, सेंट मार्क्स रोड बेंगलूरु - 560001

बेंगलूरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड

शेयरधारकों को सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड के शेयरधारकों की चतुर्थ वार्षिक साधारण बैठक **20 दिसंबर 2025 को मध्याह्न 12.30 बजे समिति कक्ष संख्या 313, तीसरी मंजिल, विधानसौधा, बैंगलोर-560001** में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित होगी:-

सामान्य कार्य

1. **वित्तीय विवरणों को अंगीकार करना :** कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल (बोर्ड) तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखा एवं लेखा परीक्षकों से प्राप्त टिप्पणियाँ।

   निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

   यह संकल्प लिया जाता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, साथ ही उनसे संलग्न सभी अनुसूचियां और नोट्स, जो बैठक में प्रस्तुत किए गए हैं, को अनुमोदित किया जाता है।

   इसके अलावा यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रमाण पत्र सहित स्वीकार किया जाता है।

2. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के केंद्रीय लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   ''**यह संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) और 142 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और समय-समय पर संशोधित नियमों तथा ऐसी अन्य आवश्यक अनुमतियों के अधीन, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, तो मेसर्स बी एन पाई एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु (फर्म पंजीकरण संख्या 008851डS) को 15,000/- रुपये प्रति वर्ष (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का पारिश्रमिक, साथ ही लागू वैधानिक करों का भुगतान किया जाए, जिनकी नियुक्ति नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी। जनरल (सी एंड एजी) सीए.वी/सीओवाई/कर्नाटक, बीआईआरआईडीई (1)/871 दिनांक: 11.09.2025 को वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए रखे गए वित्तीय अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते मेसर्स बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड
अवधेश मेहता
निदेशक/बीडीएंडएफ

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 20.12.2025

टिप्पणियाँ :

1. एक सदस्य, जिसे बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार है, वह अपनी जगह बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। इसके लिए प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। संलग्न प्रॉक्सी फ़ॉर्म को एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. बैठक स्थल का मार्गदर्शक नक्शा संलग्न है।
3. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पंजीकरण और उनके शेयरधारण का रिकॉर्ड, जो कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा गया है, सदस्यों के निरीक्षण के लिए एजीएम में उपलब्ध होगा।

उपस्थिति पर्ची

20 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित चतुर्थ वार्षिक आम बैठक

नाम:

पता:

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं मेसर्स बेंगलूरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड (बी–राइड) का पंजीकृत शेयरधारक/पंजीकृत शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि हूं और **20 दिसंबर 2025 (शनिवार) को दोपहर 12.30 बजे** कंपनी की चौथी वार्षिक साधारण बैठक में, समिति कक्ष संख्या 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा, बैंगलोर – 560001 में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

प्रथम/एकमात्र धारक (होल्डर)/प्रॉक्सी

द्वितीय धारक (होल्डर)/प्रॉक्सी

नोट : कृपया इस उपस्थिति पर्ची पर अपना पूरा नाम एवं पता लिख कर हस्ताक्षर करें और इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

फॉर्म नंबर एमजीटी–11
प्रॉक्सी फॉर्म

कंपनीं अधिनियम–2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम–2014 के नियम 19 (3) के अनुसार

सीआईएन : U60230KA2021SGC142876

कंपनी का नाम : बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर), ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर पहला ब्लॉक, बैंगलोर – 560 010

सदस्य (सदस्यों) का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं./क्लाइंट आईडी	:	
डीपी आईडी	:	

मैं, उपरोक्त नामित कंपनी के .... इक्विटी शेयर का सदस्य होने के नाते, इसके द्वारा निम्नांकित को नियुक्ति करता हूँ।

1. नाम : ....
   पता : ....
   ईमेल आईडी : ....

   हस्ताक्षरः............., या उनके विफल होने पर

2. नाम : ....
   पता : ....
   ईमेल आईडी : ....

   हस्ताक्षरः............., या उनके विफल होने पर

3. नाम : ....
   पता : ....
   ईमेल आईडी : ....

   हस्ताक्षरः............., या उनके विफल होने पर

मैं आपको, **20.12.2025 को मध्याह्न 12.30 बजे** समिति कक्ष संख्या 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा, बैंगलोर – 560001 में होने वाली कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में तथा ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, मेरे लिए और मेरी ओर से (मतदान में) भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नामित करता हूँ।

प्रस्ताव संख्या 1 से 2

रसीदी टिकट लगाएँ

दिनांक .... को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर **प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर**

टिप्पणी:

प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

बैठक स्थल का रूट मैप

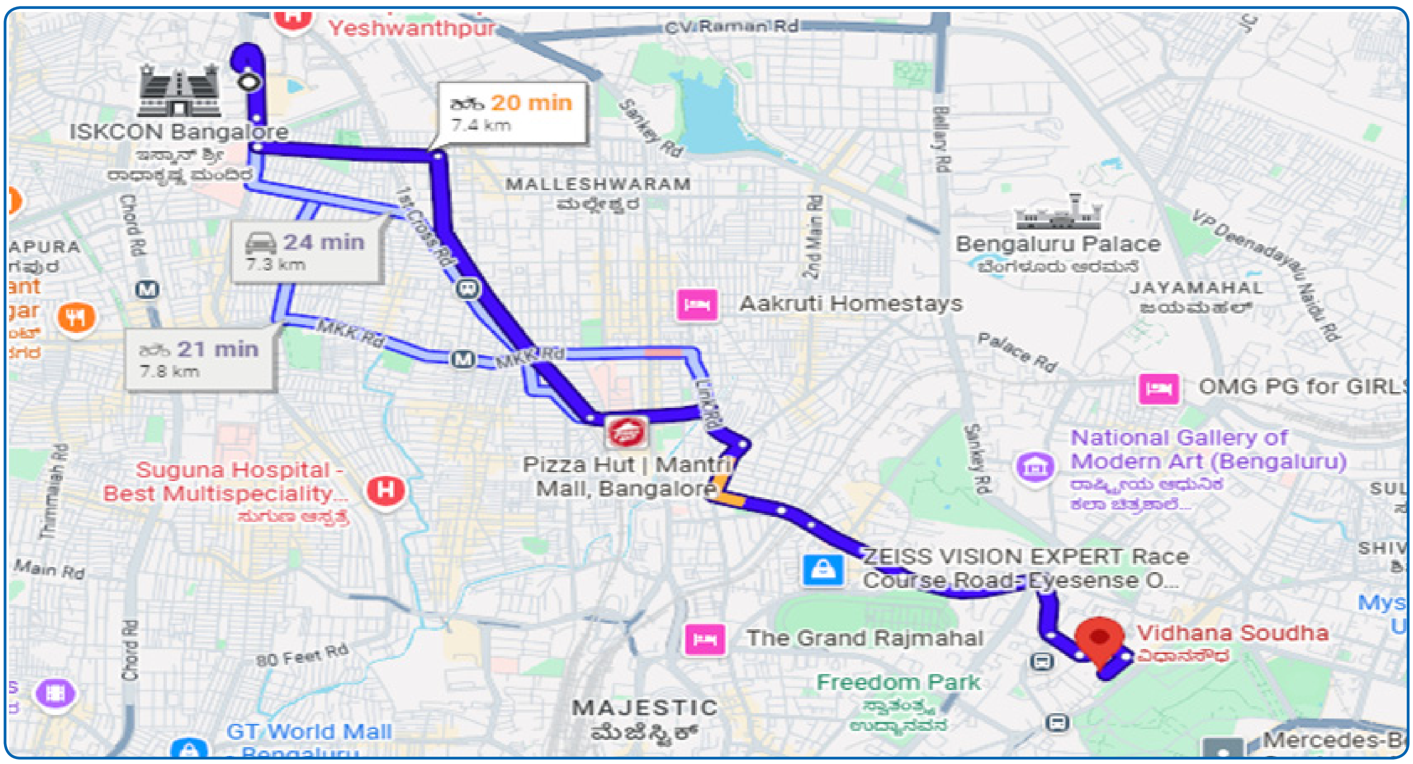

पता:

समिति कक्ष संख्या 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा, बैंगलोर – 560001

स्थलचिह्न: विकास सौधा के बगल में

बेंगलूरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड
शेयरधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों की सेवा में,

निदेशकों की रिपोर्ट

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार आपके निदेशक प्रसन्नता के साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षण के साथ वित्तीय विवरण, उस तिथि की बैलेंस शीट और नकद प्रवाह विवरण के साथ ही लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है।

(₹'000 में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 31.03.2025	पिछला वर्ष 31.03.2024
परिचालनों से आय	0.00	0.00
परिचालनों से आय	0.00	0.00
अन्य आय : बैंक जमा पर ब्याज आयकर रिफंड पर ब्याज अन्य विविध आय	0.00	0.00
कुल आय	0.00	0.00
घटाएं : कुल व्यय पूर्व अवधि की वस्तुएँ	424.64	138.95
कर पूर्व लाभ/हानि	(424.64)	(138.95)
घटाएं : कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
कर के बाद लाभ/(हानि)	(424.64)	(138.95)
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ	(424.64)	(138.95)
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन	0.00	0.00
लाभ/हानि को बैलेंस शीट में शामिल किया गया	(424.64)	(138.95)

2. कंपनी संबंधित मामलों एवं सामान्य जानकारी की स्थिति

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड ('जिसे कंपनी कहा गया है) 6 जनवरी 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कर्नाटका राज्य, भारत में स्थापित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में स्थित है।

यह कंपनी, मेसर्स रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड – K-RIDE, के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जो आवश्यक समन्वय और चिह्नित रेलवे परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और कर्नाटका सरकार के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और रिपोर्टिंग के लिए नोडल एजेंसी है।

इस कंपनी को K-RIDE (नोडल एजेंसी) द्वारा बेंगलूरु, कर्नाटक में बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना को संपन्न करने के लिए एक विशेष प्रयोजन उद्यम (SPV) के रूप में स्थापित किया गया है।

3. वित्तीय विवरण की तिथि के बाद की घटनाएँ, यदि कोई हो:

वित्तीय विवरण की तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई है।

4. कारोबारी प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो:

कंपनी बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के कार्यान्वयन हेतु मेसर्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लि. के तहत एक विशेष प्रयोजन उद्यम है। कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

5. लाभांश

चूंकि कंपनी ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए निदेशक मंडल द्वारा किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जे) के संदर्भ में प्रारक्षितियों का अंतरण

चूंकि कंपनी ने अपना परिचालन प्रारंभ और लाभ अर्जित नहीं किया है, इसलिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य प्रारक्षित खाते में किसी भी राशि के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

7. पूंजी ढांचा

अ) शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी 10 लाख रुपये है और 10/- रुपये के 1,00,000 शेयरों में विभाजित है।

ब) विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में जानकारी

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभेदक अधिकारों के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किये हैं।

स) कर्मचारी स्टॉक विकल्प जारी करने के संबंध में जानकारी

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कोई शेयर जारी नहीं किया है।

द) स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में जानकारी

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

8. कारोबार की प्रकृति में परिवर्तन

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

9. जमाराशि संबंधित विवरण :

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

10. नियामक प्राधिकरणों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण व प्रभावी आदेशों का विवरण:

ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण व प्रभावी आदेश नियामक प्राधिकरणों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की संचालन क्षमता और भविष्य में कंपनी के संचालन पर प्रभाव डालता हो।

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता:

कंपनी के पास एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जिसे संसाधनों के अनुकूलन और संरक्षण, वित्तीय एवं परिचालन जानकारी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

12. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और धारा 92(3) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार कंपनी को फॉर्म एमजीटी-9 तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए एमसीए के पास दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी, बशर्ते उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में जमा कर दिया गया हो। इसलिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी यानी केआरआईडीई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

https://kride.in/copy-of-annual-return-for-the-year-ended-31-3-2024/

निदेशकों एवं बैठकों का विवरण

क) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या एवं तिथियां तथा प्रत्येक निदेशक द्वारा शामिल बैठकों की संख्य

निदेशक मंडल एवं निदेशक समितियों की बैठकें

अ) बोर्ड मीटिंग्स

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मंडल की तीन बैठकें हुई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। दो बैठकों के आयोजन के बीच समय के अंतर का ध्यान रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

क्रम सं.	बैठक की तिथि	बैठक में शामिल निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित का (%) प्रतिशत
1	31.08.2024	8	7	87.5
2	21.12.2024	9	9	100
3	17.03.2025	9	7	87.5

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	स्थिति	श्रेणी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक आयोजित बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
डॉ. शालिनी रजनीश, आईएएस	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
डॉ. मंजुला एन., आईएएस	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री धनंजय सिंह, आईआरएसई	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	1	1
श्री महेश्वर राव, आईएएस	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री दीपा कोटनिस, आईआरएएस	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री संजीव कुमार गर्ग,आईआरएसई	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	2	1
श्री आशुतोष माथुर, आईआरएसई	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री राजेश कुमार सिंह, आईआरएसई	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री अवधेश मेहता	सदस्य	गैर-कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्री अपर्णा पावटे, केएएस	सदस्य	कार्यकारी एवं नामित निदेशक	2	1

ख) उपरोक्त के अधीन, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, किसी अन्य व्यक्ति को केएमपी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया ।

ग) **निदेशकों में परिवर्तन**

क्रम.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/समापन	प्रभावी तिथि
1	शालिनी रजनीश	नामित निदेशक	नियुक्ति	29.08.2024
2	रजनीश गोयल	नामित निदेशक	समापन	29.08.2024
3	संजीव कुमार गर्ग	नामित निदेशक	नियुक्ति	26.11.2024
4	धनंजय सिंह	नामित निदेशक	समापन	26.11.2024
5	आडिवेप्पा पावटे अपर्णा	नामित निदेशक	नियुक्ति	21.12.2024
6	मोहम्मद इक्रमुल्ला शरीफ	नामित निदेशक	समापन	21.12.2024

ब) बोर्ड मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (p) सपठित कंपनी (खातों) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम 4 के तहत बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त है।

स) निदेशकों की घोषणा

वर्ष के दौरान, कंपनी के सभी निदेशकों को सभी बोर्ड बैठकों की सूचनाएं विधिवत भेज दी गई हैं।

बोर्ड की बैठकें विधिवत बुलाई और आयोजित की गई हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त तैयार और बनाए रखे गए हैं।

कंपनी ने सभी लागू रजिस्टरों/अभिलेखों को बनाए रखा है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर उनमें प्रविष्टियां की हैं।

13. सचिवीय मानक

कंपनी के निदेशकों ने सभी प्रचलित सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियाँ तैयार की हैं, जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

14. सदस्यों की बैठक

कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

अ) 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन के लिए उपयुक्त व्याख्या प्रदान की गई है।

आ) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है, साथ ही ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और उस अवधि के लाभ-हानि का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके।

इ) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था की है।

ई) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक सतत व्यापार आधार पर तैयार किया है।

उ) कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 134(5) के उप-खंड (श) से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लागू करने की शर्त लागू नहीं होती है।

ऊ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है, और ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

16. धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण

वर्ष के दौरान, धारा 186 के तहत कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया। इसलिए उक्त धारा के तहत विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

17. संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या करारों का विवरण

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत वर्णित संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किया गया।

18. तुलन पत्र की तिथि और निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि हो

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

19. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

चूंकि कंपनी ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा व्यय से संबंधित जानकारी को शून्य माना जा सकता है।

20. जोखिम प्रबंधन नीति

हालांकि कंपनी लंबे समय से जोखिम को न्यूनतम करने के सिद्धांत का पालन कर रही है, जो कि हर उद्योग में सामान्य है, यह अब एक अनिवार्यता बन गई है।

मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ स्थायी व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना और व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और समाधान में एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

सामान्य जोखिमों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: नियम और विनियम, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक जोखिम, तकनीकी अप्रचलन, निवेश, और व्यावसायिक जोखिम। इसके अलावा, इसमें वित्तीय जोखिम, राजनीतिक जोखिम, निष्ठा जोखिम और कानूनी जोखिम भी शामिल हैं।

नीति के तहत इन जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है और इन्हें कम करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और उसकी नीतियाँ

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

22. सतर्कता तंत्र की स्थापना पर प्रकटीकरण

कंपनी सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

23. लेखा परीक्षक और उनकी रिपोर्ट

क) सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स बी.एन. पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कैग द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अगली वार्षिक साधारण बैठक तक अपना कार्यभार संभालेंगे।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कुछ आपत्तियां, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणियां या अस्वीकरण किए गए हैं, जो प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एफ) के तहत इन पर किसी और स्पष्टीकरण या टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बीआई–राइड के वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ

क्रम सं.	योग्य राय का आधार	प्रबंधन के उत्तर
1.	भारतीय लेखा मानकों (GAAP) 101 के अनुसार– भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने के अनुच्छेद 23 के अनुसार, एक इकाई को यह स्पष्ट करना होगा कि पिछले (GAAP) से भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन ने उसकी रिपोर्ट की गई बैलेंस शीट, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए एक इकाई के पहले भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) भारतीय लेखा मानकों (GAAP) 101 के अनुसार रिपोर्ट की गई उसकी इक्विटी का **भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उसकी इक्विटी के साथ निम्नलिखित दोनों तिथियों के लिए मिलान:** (I) भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि ; और (ii) पिछले (GAAP) के अनुसार इकाई के नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नवीनतम अवधि का अंत। (ख) इकाई के नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों में नवीनतम अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उसकी कुल व्यापक आय का मिलान। उस मिलान का प्रारंभिक बिंदु उसी अवधि के लिए पिछले (GAAP) के अनुसार कुल व्यापक आय होगी, या यदि किसी इकाई ने ऐसी कुल आय की रिपोर्ट नहीं की है, तो पिछले (GAAP) के तहत लाभ या हानि होगी। इसके अलावा, अनुच्छेद 27AA के अनुसार, यदि कोई इकाई अनुच्छेद D7AA के अनुसार प्रदान किए गए प्रथम–बार छूट विकल्प को अपनाती है, तो इस तथ्य और लेखांकन नीति का खुलासा इकाई द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरणों में प्राप्त प्रथम–बार छूट का खुलासा नहीं किया गया है। उपरोक्त अपेक्षित खुलासा वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप Ind AS-101 का अनुपालन नहीं हुआ है।	यह खुलासा अद्यतन किया गया है और **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा जारी टिप्पणियाँ प्राप्त करना आवश्यक है। पूरक लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, सी एंड एजी ने धारा 143(6)(ख) के तहत आवश्यक टिप्पणियाँ और शून्य रिपोर्ट कंपनी को जारी की है, जिसे कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में रखा गया है। सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न है।

ग) लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखापरीक्षा

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, धारा 148 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः इनका विवरण नहीं दिया गया है।

घ) सचिवीय लेखा परीक्षक

धारा 204 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए इनका विवरण नहीं दिया गया है।

ङ) लागत लेखा परीक्षक, लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखापरीक्षा

धारा 148(3) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए इनका विवरण नहीं दिया गया है।

च) लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की है।

24. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों के साथ पठित धारा 197 के अनुसार कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

25. सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल और मेसर्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कंपनी की कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है।

26. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार, कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक शिकायत समिति के नाम से जाना जाएगा। कंपनी विशाखा दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करती है और उनका अभ्यास करती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। कंपनी ने POSH अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

27. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन:

कंपनी पुष्टि करती है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी ने पात्र महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए हैं।

28. वित्तीय वर्ष के समापन पर कर्मचारियों की संख्या – शून्य

29. सामान्य खुलासे:

आपके निदेशक यह बताते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी खुलासे या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ:

क. लाभांश, मतदान या अन्य किसी भी प्रकार के भिन्न अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों का निर्गमन।

ख. कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी योजना के तहत शेयरों (स्वयं लाभ के शेयरों सहित) का निर्गमन नहीं किया गया है।

ग. कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए न्यासियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

घ. वर्ष के दौरान दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ङ. वर्ष के अंत में कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

च. स्वतंत्र निदेशक की घोषणा लागू नहीं है क्योंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

छ. कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है, इसलिए एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण लागू नहीं होते हैं।

30. आभार

Bi-RIDE ने अवसंरचना विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, शहरी भूमि परिवहन निदेशालय (डीयूएलटी), वित्त विभाग/कर्नाटक सरकार, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, दक्षिण पश्चिम रेलवे आदि के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। निदेशक मंडल इन सभी और अन्य हितधारकों से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड
हस्ताक्षर
डॉ. शालिनी रजनीश, आईएएस
अध्यक्ष

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 20.12.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य अभिमत

हमने बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। यह रिपोर्ट 6 अक्टूबर, 2025 को जारी हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का स्थान लेती है, जो कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित थी और जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधित किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को उसी प्रकार से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित (इंड एएस) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति, उसके घाटे, नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्यतापूर्ण राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

योग्य राय उत्पन्न करने वाले मामले :

1. भारतीय लेखा मानकों (GAAP) 101 के अनुसार – भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने के अनुच्छेद 23 के अनुसार – एक इकाई को यह स्पष्ट करना होगा कि पूर्व (GAAP) से भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन ने उसकी रिपोर्ट की गई बैलेंस शीट, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए, एक इकाई के पहले भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) भारतीय लेखा मानकों (GAAP) 101 के अनुसार रिपोर्ट की गई इक्विटी का भारतीय लेखा मानकों के अनुसार इक्विटी के साथ निम्नलिखित दोनों तिथियों के लिए मिलान:

(i) भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि ; और

(ii) पूर्व (GAAP) के अनुसार इकाई के नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नवीनतम अवधि का अंत।

(ख) इकाई के नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों में नवीनतम अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कुल व्यापक आय के साथ मिलान। उस मिलान का प्रारंभिक बिंदु उसी अवधि के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार कुल व्यापक आय होगी या, यदि किसी इकाई ने ऐसा कुल योग रिपोर्ट नहीं किया है, तो पिछले जीएएपी के तहत लाभ या हानि होगी।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 27AA के अनुसार, यदि कोई संस्था अनुच्छेद D7AA के अनुसार प्रदान किए गए प्रथम-बार छूट विकल्प को अपनाती है, तो संस्था द्वारा इस तथ्य और लेखांकन नीति का खुलासा किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में इस प्रथम-बार छूट का खुलासा नहीं किया गया है।

उपरोक्त अपेक्षित खुलासा वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप Ind AS-101 का अनुपालन नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में विचार किया गया था और इन पर अपनी राय बनाते समय इनका विश्लेषण किया गया था, इसलिए हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक गैर–सूचीबद्ध इकाई है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी:

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी स्वतंत्र वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ:

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 शामिल हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों, ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए जा सकें और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ:

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्र वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण त्रुटि का पता चल जाएगा। त्रुटियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इनसे उपयोगकर्ताओं द्वारा इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एस.ए. के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में हम पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

* धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं, और अपनी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत बयान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

* लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निर्माण किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

*प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

*प्रबंधन द्वारा निरंतर संचालन के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी का निरंतर संचालन बंद हो सकता है।

*स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह भी जांचें कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं।

हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं।

प्रशासनिक मामलों के संबंध में, हमने वर्तमान अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण किया है, और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में देते हैं, जब तक कि कानून या नियम के तहत सार्वजनिक रूप से इनका खुलासा करना अनिवार्य न हो, या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित में होने वाले लाभों से कहीं अधिक गंभीर होंगे।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, हम अनुलग्नक क में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर, जिन्हें हम उचित समझते हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों पर हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुलग्नक-ख में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में उल्लिखित अपवाद को छोड़कर कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में विवेचित बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा-पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त अपवाद को छोड़कर उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(ङ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 15 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'सी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में:
कंपनी के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 15 जून 2015 के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी के खिलाफ कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगे।

ii. कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध, जिनमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं हैं जिनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण संभावित हानि हो सकती है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई भी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (वित्तपोषक पक्ष), से कोई भी धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्ष द्वारा या उनकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगी;

ग) परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह लगे कि उप-खंड (क) और (ख) के अंतर्गत दिए गए कथनों में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. कंपनी अपने लेखा-पुस्तकों के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें लेखापरीक्षा लॉग (ऑडिट ट्रेल) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देनों के लिए किया जाता रहा है और कंपनी द्वारा अभिलेखों के वैधानिक रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई/एमजी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 204014

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
UDIN : 25204014MHWGE5918

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(हमारी दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

विषय: बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (कंपनी)

कंपनी द्वारा मांगी गई और दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, तथा सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांचे गए लेखा–पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम यह कथन करते हैं कि:

(I) **क)** (अ) चूंकि कोई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण नहीं हैं, इसलिए आदेश के खंड 3(i) (क)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) चूंकि कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(i)(क)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(आ) चूंकि कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण नहीं हैं, इसलिए आदेश के खंड 3(i) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं होने के कारण, आदेश के खंड 3(i)(c) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

घ) कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त परिसंपत्ति नहीं होने के कारण, आदेश के खंड 3(i)(व) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

(ii) **क)** चूंकि वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। अतः आदेश के खंड 3(ळळ)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में निवेश नहीं किया है, ऋण प्रदान नहीं किए हैं, ऋण के रूप में अग्रिम नहीं दिए हैं, गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। अतः आदेश के खंड 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी दी है, न ही कोई सुरक्षा दी है, और न ही कोई ऐसा निवेश किया है जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों। अतः, आदेश का खंड 3(iv) लागू नहीं होता है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा किए गए व्यावसायिक कार्यों के लिए कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार लागत अभिलेखों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः, आदेश के खंड 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii) **क.** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और हमारे द्वारा प्रस्तुत और जाँची गई पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, वैधानिक देय राशियों के संबंध में, कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक देय राशियों सहित निर्विवाद वैधानिक देय

राशियों को संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक, उपरोक्त वैधानिक देय राशियों के संबंध में कोई भी ऐसी राशि देय नहीं थी जो देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया हो।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के अंत तक उपरोक्त वैधानिक देय राशियों के संबंध में कोई विवादित देय राशि नहीं थी, इसलिए खंड 3(vii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के तहत कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है।

(ix) **क.** हमारे द्वारा जाँची गई कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उन पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(c) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

घ. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी अल्पकालिक ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(d) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। अतः, आदेश के खंड 3(ix)(e) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) क. हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन भी शामिल हैं, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xii) क. कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiv) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के तहत आवश्यक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiv)(a) और (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvi) क. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

ख. हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सी.ओ.आर.) के बिना कोई भी गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

ग. हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सी.आई.सी.) नहीं है।

घ. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह में एक से अधिक सी.आई.सी. नहीं हैं। तदनुसार, खंड 3(xvi)(K) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को 20 लाख रुपये की नकद हानि हुई है। चालू वर्ष में 4.24 लाख रुपये और पिछले वित्तीय वर्ष में 1.38 लाख रुपये।

(xviii) इस वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और अपेक्षित वसूली तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिसके कारण कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा समय पर किया जाएगा।

(xx) धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) एवं (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई/एमजी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 204014

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
UDIN : 25204014MHWGE5918

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

हमारी स्वतंत्र ऑडिटर्स रिपोर्ट में **बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड (कंपनी)** के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संदर्भित अनुलग्नक।

अ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र.सं	दिशा–निर्देश	टिप्पणियाँ
1.	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या गैर–सूचीबद्ध, का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, औद्योगिक मानक विनिमय मानकों (खपव –ड) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट शामिल होगी। कंपनी ने पिछले वर्ष में कोई निवेश नहीं किया है।	कंपनी ने पिछले वर्ष में कोई निवेश नहीं किया है।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रसंस्करण से खातों की सत्यता पर पड़ने वाले प्रभावों और यदि कोई वित्तीय प्रभाव हों, तो उनका उल्लेख करें।	कंपनी अपने सभी लेखांकन लेन–देन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखती है। लेकिन हमारा मानना है कि टैली सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों का सुधार, विलोपन और जोड़ केवल लेखांकन के प्रभारी संबंधित व्यक्ति के प्राधिकरण से ही किया जा सकता है। सुरक्षा नियंत्रणों के अंतर्गत उपयोगकर्ता भूमिकाएँ लागू की गई हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	बैलेंस शीट की तिथि तक इकाई को कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसलिए, कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं बनाई है।
5.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एसईबीआई, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	कंपनी ने लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है।

आ) अतिरिक्त उप-दिशा-निर्देश:

(I) अनुलग्नक-1 के अनुसार नकद और बैंक शेष से संबंधित सभी मदों का सत्यापन किया जाएगा और विशिष्ट गैर-अनुपालनों के मामलों की रिपोर्ट की जाएगी।

- सत्यापित और सही पाया गया।

(ii) क्या कंपनी के पास हेराफेरी/धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और क्या हानि, यदि कोई हो, तो उसे लेखाबही में उचित रूप से दर्ज किया गया है?

- सत्यापित और उचित रूप से दर्ज किया गया है।

(iii) निलंबन खाता के तहत संचालित अप्रत्याशित शेष/बैलेंस का विवरण भी जांचा जा सकता है।

- हां, जांच की गई, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं।

(iv) क्या अनुबंध में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में कार्यों के निष्पादन की निगरानी करने की प्रणाली मौजूद है और यदि कोई लागत वृद्धि, अनुबंधों से राजस्व/हानि आदि हुई है, तो क्या इन्हें पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया गया है।

वर्तमान तिथि तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

(v) व्यापार प्राप्तियाँ, व्यापार देनदारियाँ, अग्रिम और समान प्रकृति के शेषों की पुष्टि पर टिप्पणी करें।

- हां, जांच की गई, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं।

कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई/एमजी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 204014

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
UDIN : 25204014MHWGE5918

संलग्नक 1, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक-ख के लिए

क्र.सं	जाँच सूची में आइटम	टिप्पणियाँ
1.	क्या सभी बैंक खाते/सावधि जमा, शक्तियों के उपरोक्त प्रत्यायोजन के अनुसार बैंकों/उचित प्राधिकरण और अनुमोदन के साथ खोले गए हैं?	**हाँ**
2.	क्या बैंक समाधान विवरण तैयार करने की कोई आवधिक प्रणाली थी और क्या उन्हें लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया था?	**हाँ (मासिक बीआरएस तैयार किया गया है और लेखा-परीक्षा के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है)**
3.	क्या मुख्य खाते और सभी सहायक बैंक खातों का बैंक मिलान किया गया था?	**हाँ**
4.	क्या बैंक खातों को संचालित करने का अधिकार एक ही हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया था?	**नहीं (दोहरे हस्ताक्षर)**
5.	क्या सावधि जमा की पूरी अवधि का ब्याज खातों की पुस्तकों में दर्ज किया गया था?	**बैलेंस शीट तिथि पर कोई नियत जमा नहीं**
6.	क्या नकदी का भौतिक सत्यापन समय-समय पर हुआ है?	**बैलेंस शीट तिथि पर कोई भौतिक नकद नहीं**
7.	क्या बैलेंस शीट में दिखाई गई नकद राशि भौतिक नकद सत्यापन प्रमाणपत्र से मेल खाती है?	**लागू नहीं**

8.	क्या एक नियत जमा रजिस्टर है, जिसमें राशियाँ, परिपक्वता तिथियाँ, ब्याज दरें और ब्याज भुगतान तिथियाँ दर्शाई गई हैं?	**बैलेंस शीट तिथि पर कोई नियत जमा नहीं**
9.	क्या नियत जमा पर ब्याज प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अनुवर्ती प्रणाली है?	**लागू नहीं**
10.	क्या परिपक्व नियत जमा की राशि का हस्तांतरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित करने के लिए एक अनुवर्ती प्रणाली है?	**लागू नहीं**
11.	क्या सभी खातों के लिए, जैसे एस.बी. खाते, चालू खाते और नियत जमा, बैंकों से समय–समय पर बैंक पुष्टिकरण विवरण प्राप्त किए जाते हैं?	**हाँ**
12.	क्या सभी बैंक शेषों के पुष्टिकरण बैंक विवरणों से मेल खाते हैं?	**हाँ**
13.	क्या नियत जमा रजिस्टर के अनुसार नियत जमा और ब्याज बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र से मेल खाते हैं?	**बैलेंस शीट तिथि पर कोई नियत जमा नहीं**
14.	क्या बैंकों से प्राप्त पुष्टिकरण विवरण प्रमाणित और बैंक के लेटरहेड पर हैं?	**हाँ**
15.	यदि उपर्युक्त जांच में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो क्या उसे अगले वर्ष में समायोजित किया गया था?	**लागू नहीं**
16.	क्या पुस्तकों में दर्शाए गए बैंक शेष बाहरी पुष्टिकरणों से मेल खाते हैं, जो लेखा परीक्षकों ने बैंकों से प्राप्त किए हैं?	**हाँ**
17.	क्या उपर्युक्त में से कोई भी चूक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट में विधायिका लेखा परीक्षक द्वारा उजागर की गई थी? यदि नहीं, तो क्या लेखा परीक्षा जांच जारी की गई थी?	**कोई चूक नहीं पाई गई**

कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या 008851S

हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई/एमजी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 204014

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
UDIN : 25204014MHWGE5918

अनुलग्नक–सी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (ख) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत किया गया है:

1. हमने बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा–परीक्षण करने के साथ ही साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षा के लिए गाइडेंस नोट में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक शामिल हैं। इन जिम्मेदारियों में प्रभावी रूप से संचालन के लिए उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, ताकि इसके व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसके संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक रूप से विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षा के लिए गाइडेंस नोट और कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह आवश्यक बनाते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और इसे इस उद्देश्य से करें कि हमें यह यथोचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए गए थे और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

4. हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है या नहीं, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखा परीक्षा मत प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय

विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(i) कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को उचित विस्तार से, सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं;

(ii) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ :

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन या उल्लंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं जिनका पता नहीं चल पाता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों के लिए अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय (अभिमत) :

8. हमारी राय में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है, जो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी है, और 31 मार्च, 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह मूल्यांकन कंपनी द्वारा स्थापित उन मानदंडों पर आधारित है, जो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट के लिए मार्गदर्शिका में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई/एमजी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 204014

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 01 दिसंबर 2025
UDIN : 25204014MHWGE5918

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
31 मार्च 2025 तक का तुलनपत्र

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1. इक्विटी				
(1) गैर-चालू आस्तियाँ		-	-	-
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-	-	-
(ख) संचित निधि और अधिशेष		-	-	-
(ग) चल रहे पूंजीगत कार्य		-	-	-
(घ) उपयोगाधिकार की संपत्तियाँ		-	-	-
(च) वित्तीय आस्तियाँ		-	-	-
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-	-
(2) चालू आस्तियाँ		-	-	-
(अ) माल (इन्वेंटरीज)		-	-	-
(ब) वित्तीय आस्तियाँ		-	-	-
(I) व्यापार प्राप्तियाँ		-	-	-
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	2	**228.84**	**825.60**	**826.25**
(iii) अन्य बैंक बचत		-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ		-	-	-
(स) चालू कर आस्तियाँ (निवल)		-	-	-
(द) अन्य चालू आस्तियाँ	3	10	-	-
कुल आस्तियाँ		**238.85**	**825.60**	**826.25**
			-	-
	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00
II. इक्विटी एवं देयता	5	(780.87)	(356.22)	(217.27)
1. इक्विटी		-	-	-
(अ) इक्विटी शेयर पूँजी				
(ब) अन्य इक्विटी				
(2) आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि				
(3) देयताएँ		-	-	-
(I) गैर-चालू देयताएँ				
(अ) वित्तीय देयताएँ				
(ब) प्रावधान		-	-	-
(II) चालू देयताएँ				
(अ) वित्तीय देयताएँ				
(I) उधारी		-	-	-
(ii) पट्टे (लीज) की देनदारियाँ		-	-	-
(iii) व्यापार देय अन्य चालू आस्तियाँ	6			
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	-	**17.56**
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-	-
(ब) अन्य चालू देयताएँ	7	19.71	181.83	25.96
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**238.85**	**825.60**	**826.25**

सामग्री लेखांकन नीतियाँ — 1
संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं। — (01-28)

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 273354

स्थानः बेंगलुरु
दिनांकः 06.10.2025
UDIN : 25204014BMHWDU6086

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर
राजेश के सिंह
निदेशक
डीआईएनः 08601529

हस्ताक्षर
अवधेश मेहता
निदेशक
डीआईएनः 09564884

स्थानः बेंगलुरु
दिनांकः 06.10.2025

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड
वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणिका

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आय:			
परिचालनों से आय		-	-
अन्य आय		-	-
कुल आय		-	-
व्यय (खर्चे) :			-
परिचालन व्यय		-	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय		-	-
वित्त लागत		-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		-	-
अन्य व्यय	8	424.64	138.95
कुल व्यय		424.64	138.95
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		(424.64)	(138.95)
असाधारण मद		-	-
कर पूर्व लाभ		(424.64)	(138.95)
कर व्यय:		**(424.64)**	**(138.95)**
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
कर के बाद लाभ		**(424.64)**	**(138.95)**
अन्य व्यापक लाभ/(हानि)		-	-
अ. (I) वे मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(II) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
ब. वे मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक लाभ/(हानि)		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय **प्रति इक्विटी शेयर आय**		**(424.64)**	**(138.95)**
(1) मूल (रु.)		(4.25)	(1.39)
(2) डाईलुटेड (रु.)		(4.25)	(1.39)
(3) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या ('000)			

सामग्री लेखांकन नीतियाँ 1

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं। **(01-28)**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,फर्म पंजीकरण संख्या 008851S

हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 273354

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025
UDIN : 25204014BMHWDU6086

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर
राजेश के सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर
अवधेश मेहता
निदेशक
डीआईएन: 09564884

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि - 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी	1,000	-	-	-	1,000

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि - 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी	1,000	-	-	-	1,000

पिछली रिपोर्टिंग अवधि - 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी	1,000	-	-	-	1,000

ख. अन्य इक्विटी

		भंडार और अधिशेष						
	नोट	सामान्य भंडार	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत विशेष भंडार	धारा 45-IC के अंतर्गत विशेष भंडार	पूंजी भंडार	अन्य भंडार	संचित आय	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	(168.75)	(68.75)
वर्ष के लिए अतिरिक्त राशि	-	-	-	-	-	-	(148.53)	(148.53)
घटाएँ: हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	**(217.27)**	**(217.27)**
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	(217.27)	(217.27)
वर्ष के लिए अतिरिक्त राशि	-	-	-	-	-	-	(138.95)	(138.95)
घटाएँ: हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	**(356.22)**	**(356.22)**
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	(356.22)	(356.22)
वर्ष के लिए अतिरिक्त राशि	-	-	-	-	-	-	(424.64)	(424.64)
घटाएँ: हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	**(780.87)**	**(780.87)**

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,फर्म पंजीकरण संख्या 008851S
हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 273354
स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025
UDIN : 25204014BMHWDU6086

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर
राजेश के सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर
अवधेश मेहता
निदेशक
डीआईएन: 09564884

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइस लिमिटेड

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (परोक्ष विधि)

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये में हजारों (₹'000) में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ '000 में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
अ) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	**(424.64)**	**(138.95)**
पूर्व अवधि समायोजन		
गैर-परिचालन मामलों के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	-	-
ब्याज से आय	-	-
सुरक्षित जमाराशि	(10.00)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालनगत लाभ	**(434.64)**	**(138.95)**
समायोजन के लिए :		
– देय व्यापारिक राशियों में	-	**(17.56)**
– अन्य चालू देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(162.11)	(155.87)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(596.76)**	**(0.64)**
- भुगतान किये गये प्रत्यक्ष कर	-	-
परिचालन कार्यकलापों से/(में उपयोग किया गया) निवल नकद (अ)	(596.76)	(0.64)
आ) निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सीडबल्यूआईपी एवं पूंजीगत अग्रिमों (निवल) सहित स्थिर परिसंपत्तियों में पूंजीगत व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-
ब्याज से आय		
निवेश गतिविधियों से/(में उपयोग किया गया) निवल नकद (आ)	-	-
इ) वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी निर्गमन	-	-
स्वामियों की इक्विटी में परिवर्तन	-	-
दीर्घकालिक ऋणों एवं अनुदानों से प्राप्त आय		
वित्तपोषण कार्यकलापों से/(में उपयोग किया गया) निवल नकद (इ)	-	-
नकद एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	**(596.76)**	**(0.64)**
नकद एवं नकदी समतुल्य (अधिशेष)	825.60	826.25
नकद एवं नकदी समतुल्य (अधिशेष)	228.84	825.60
नकद एवं नकदी समतुल्य के संघटक		
क) हाथ में नकद	-	-
ख) बैंकों के पास शेष राशियाँ		
चालू खाता एवं बचत खातों में	228.84	825.60
जमा खाता में	-	-
चेक/ड्राफ्ट हाथ में	-	-
	228.84	**825.60**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,फर्म पंजीकरण संख्या 008851S

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 273354

हस्ताक्षर
राजेश के सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर
अवधेश मेहता
निदेशक
डीआईएन: 09564884

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025
UDIN : 25204014BMHWDU6086

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

टिप्पणियाँ, जो वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं

1. खातों पर टिप्पणियाँ

1. अ) कंपनी की सूचना :

(क) बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 06 जनवरी 2021 को कर्नाटक राज्य, भारत में पंजीकृत किया गया है (CIN संख्या: U60230K-2021SGC142876)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है।

कंपनी ''रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड - के-राइड'', की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य चिन्हित रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना, उनकी सुचारु क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना, और प्रगति की निगरानी कर कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट करना है।

कंपनी को के-राइड (नोडल एजेंसी) द्वारा बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को बेंगलुरु, कर्नाटक में लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया गया है।

1. ब) कार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा :

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्यों को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

1. स) सामग्री लेखांकन नीतियां:

(क) तैयारी का आधार - मापन और सामग्री लेखांकन नीतियों के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत अधिसूचित किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी (खाते) नियम, 2014 के अनुच्छेद 7 के साथ पढ़े जाने पर (भारतीय जीएएपी) तैयार किए हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं।

चूंकि ये कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं जो भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसलिए (इंड एएस) - 101, भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने का प्रावधान लागू किया गया है। इंड एएस में परिवर्तन से कंपनी की पूर्व में रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों के नोट 10 में दिया गया है।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेवाओं की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के लिए निर्धारित किया है।

(ख) आयकर

आयकर में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है, सिवाय उन मदों के जो सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में दर्ज किए जाते हैं।

I. **चालू आयकर:**

चालू और पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर की गणना भारत में लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर की जाती है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या सारतः लागू किए गए हैं। कंपनी चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को समायोजित करती है, जहां उसे मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है या परिसंपत्ति और देनदारी को एक साथ वसूल करना चाहती है।

ii. **आस्थगित कर:**

आस्थगित कर की पहचान बैलेंस शीट पद्धति के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और वित्तीय विवरणों में उनके वहन मूल्य के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है, सिवाय इसके कि जब आस्थगित कर सद्भावना की प्रारंभिक पहचान या किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्ति या देनदारी से उत्पन्न होता है जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय लेखांकन या कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन उस अवधि में लागू होने वाली कर दरों पर किया जाता है जब परिसंपत्ति प्राप्त होती है या देनदारी का निपटान होता है, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर।

अन्य व्यापक आय या अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर की पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या अन्य इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित किया जाता है, यदि वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां समान शासी कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ तक यह उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक उपयोग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

ग) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण :

समूह बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।
किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति तब माना जाता है जब वह:

– सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो

– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो

– रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने बाद प्राप्त होने की उम्मीद हो, या

– नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीने बाद तक किसी देनदारी के निपटान के लिए विनिमय या उपयोग पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई देनदारी चालू होती है:

– सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद हो

– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो

– रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने बाद तक निपटाने के लिए देय हो, या

– रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीने बाद तक देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

समूह अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र परिसंपत्तियों के प्रसंस्करण हेतु अधिग्रहण और नकद एवं नकद समतुल्यों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। समूह ने बारह महीने को अपना परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

घ) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में उसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट एवं प्रतिपूर्ति, आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर अधिकारियों से बाद में वसूल किए जाने वाले करों को छोड़कर), परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु किए गए प्रत्यक्ष व्यय, जिसमें योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्रासंगिक उधार लागत और परिसमापन की अपेक्षित लागत शामिल है, को घटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के परिचालन में आने के बाद किए गए व्यय, जैसे मरम्मत एवं रखरखाव, को लाभ एवं हानि विवरण में उसी अवधि में प्रभारित किया जाता है जिसमें ये लागतें वहन की जाती हैं। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद को विक्रय पर या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा न हो, तो उसे मान्यतामुक्त कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के विक्रय या सेवानिवृत्ति पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण विक्रय आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ङ) मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास उस मूल्यह्रास योग्य राशि तक प्रदान किया जाता है, जो लेखन मूल्य (WDV) विधि पर आधारित होता है। मूल्यह्रास, संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन मामलों में जहाँ संपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरी तरह से लिख दिया गया है, 5% का शेष मूल्य या पुस्तकों में दिखाई गई राशि आगे बढ़ाई जाती है और उसी पर आगे मूल्यह्रास लागू नहीं किया जाता है।

वह संपत्तियाँ जो 5,000/– या इससे कम मूल्य पर खरीदी जाती हैं, उनका मूल्यह्रास 100% की दर से किया जाता है, जिसमें खरीदी वर्ष में ही वाणिज्यिक जीवन को ध्यान में रखा जाता है और इन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को मोबाइल हैंडसेट्स का मूल्यह्रास कंपनी की नीति के अनुसार 3 वर्षों की अवधि में किया जाता है।

संपत्तियों के उपयोगी जीवन और वह तरीका जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

संपत्ति विवरण	वर्षों की संख्या
संयंत्र और मशीनरी	15
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर	3
फ़र्नीचर व जुड़नार	10
कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाइल हैंडसेट जिसकी कीमत 5,000/– रुपये से अधिक हो	3

च) अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) का प्रारंभिक मान्यता पर लागत मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर लागत पर दर्ज किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य विधि द्वारा निम्नानुसार परिशोधन किया जाता है:–

परिसंपत्ति का विवरण	वर्षों की संख्या
कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर	3

छ) मूर्त और अमूर्त संपत्ति की हानि/मूल्यह्रास :

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति ख़राब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो उस हद तक ह्रास हानि को लाभ और हानि खाता में मान्यता दी जाती है, जितना बहीखाता मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक होता है।

(ज) राजस्व की पहचान:

राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है, जिसमें संविदात्मक रूप से परिभाषित भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को छोड़कर।
कंपनी ने अभी तक खातों की पुस्तकों में राजस्व को मान्यता नहीं दी है।

(i) **कर्मचारी लाभ:**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:
वर्तमान में कंपनी में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:
परिभाषित अंशदान योजनाएँ:
पश्चात पेंशन योजना:
क) कंपनी की कोई पश्चात पेंशन योजना नहीं है।
ख) कंपनी ने कोई भी सेवानिवृत्ति योजना लागू नहीं की है।
ग) सभी कर्मचारी कानून के अनुसार भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं। कर्मचारियों का अंशदान कानून के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है।

ग्रेच्युटी:

आवश्यकतानुसार प्रावधान किए जाएंगे।

(झ) उधार:

उधार को प्रारंभ में उचित मूल्य पर, लेन–देन लागत घटाकर, मान्यता दी जाती है। बाद में उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्त राशि (लेन–देन लागत घटाकर) और मोचन राशि के बीच के अंतर को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके उधार की अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। ऋण सुविधा स्थापित करने पर भुगतान किए गए शुल्क को ऋण की लेन–देन लागत के रूप में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि सुविधा का कुछ या पूरा हिस्सा उपयोग में आने की संभावना हो। इस स्थिति में, शुल्क को उपयोग होने तक स्थगित कर दिया जाता है। यदि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सुविधा का कुछ या पूरा हिस्सा उपयोग में आने की संभावना है, तो शुल्क को तरलता सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और संबंधित सुविधा की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व के निर्वहन, रद्द होने या समाप्त होने पर उधार को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। किसी वित्तीय दायित्व की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है, और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित गैर–नकद संपत्तियां या ग्रहण की गई देनदारियां शामिल हैं, लाभ और हानि विवरण में अन्य आय/(व्यय) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

ऋणों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो। यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पहले किसी दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन होता है, जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग तिथि पर देनदारी मांग पर देय हो जाती है, तो इकाई देनदारी को चालू देनदारी के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है, यदि ऋणदाता ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद और वित्तीय विवरणों के जारी होने की स्वीकृति से पहले, उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान की मांग न करने पर सहमति व्यक्त की हो।

(ञ) उधार लागत :

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादकता से संबंधित उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उसी अवधि में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जिस अवधि में वे घटित होती हैं। उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करती है।

एक योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से एक पर्याप्त अवधि की आवश्यकता होती है। उधार लेने से संबंधित अन्य लागतें उसी अवधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती हैं जिसमें वे खर्च होती हैं।

(ट) उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय उपकरणों का मापन उचित मूल्यों पर किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। कंपनी उचित मूल्य निर्धारण के लिए परिस्थितियों के अनुरूप और पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता वाली मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे प्रासंगिक प्रत्यक्ष इनपुट का अधिकतम उपयोग और अप्रत्यक्ष इनपुट का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होता है।

प्रबंधन नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट की समीक्षा करता है। मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

स्तर 1 इनपुट: सक्रिय बाजार में उद्धृत, असमायोजित मूल्य।

स्तर 2 इनपुट: उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले इनपुट।

स्तर 3 इनपुट: अप्रत्यक्ष इनपुट।

(ठ) वित्तीय उपकरण

सभी वित्तीय उपकरणों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन लागत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर) को वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में शामिल किया जाता है। ऋण, उधार और देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है। बाद के मापन के उद्देश्य से, कंपनी के वित्तीय उपकरणों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: परिशोधित लागत और लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ (FVTPL) और परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ।

वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण उस व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए इसे रखा जाता है। प्रबंधन प्रारंभिक मान्यता के समय अपने वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

(ड) नकद और नकद समतुल्य

संतुलन पत्र में नकद और अल्पकालिक जमा में बैंकों में और हाथ में मौजूद नकद और तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है। नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंकों में जमा नकदी और मांग जमा शामिल हैं।

(ढ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर–नकदी प्रकृति के लेन–देन और अतीत या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(ड़) प्रति शेयर आय

मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। कंपनी के पास इस अवधि के दौरान कोई भी संभावित रूप से तनुकृत इक्विटी शेयर नहीं हैं।

(त) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी पर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्ट होगा, या एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व अत्यंत दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व होता है जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कंपनी आकस्मिक दायित्व को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

(थ) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ

इंड.एस.ए. के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ बनानी पड़ती हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों के वहन मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की आवधिक समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में और उससे प्रभावित होने वाली किसी भी भविष्य की अवधि में मान्यता दी जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य से संबंधित प्रमुख मान्यताएँ और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी मान्यताओं और अनुमानों को वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया है। हालाँकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में मान्यताएँ बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन होने पर उन्हें मान्यताओं में दर्शाया जाता है।

अन्य अनुमान: वित्तीय विवरण तैयार करने में ऐसे अनुमान और मान्यताएँ शामिल होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से कंपनी ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक सांद्रता, ग्राहक साख और वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की वसूली की संभावना का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, तो अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता हो सकती है।

(द) विश्लेषणात्मक अनुपात

1. चालू अनुपात

चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेने में बैंक इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।

2. ऋण–इक्विटी अनुपात

ऋण–इक्विटी अनुपात किसी कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है।

3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात

ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की वर्तमान ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

4. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई):

यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ने इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया है। यह इक्विटी धारकों को प्राप्त प्रतिशत प्रतिफल क ो भी मापता है।

5. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात:

यह अनुपात, जिसे स्टॉक टर्नओवर अनुपात भी कहा जाता है, अवधि के दौरान बेचे गए माल की लागत या बिक्री और अवधि के दौरान रखे गए औसत इन्वेंटरी के बीच संबंध स्थापित करता है।

6. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात:

यह उस दक्षता को मापता है जिससे कंपनी प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल होते हैं।

7. व्यापार देयताएँ टर्नओवर:

यह दर्शाता है कि किसी अवधि में विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसका उपयोग विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए आवश्यक नकदी का आकलन करने के लिए किया जाता है।

8. शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात:

यह कार्यशील पूंजी के उपयोग में कंपनी की दक्षता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात की गणना शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित कर की जाती है।

9. शुद्ध लाभ अनुपात

यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री वापसी को घटाकर की जाती है।

10. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल किसी कंपनी के प्रबंधन की ऋणधारकों और इक्विटीधारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए पूंजी का उपयोग उतना ही अधिक कुशलता से किया जा रहा होगा।

11. निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग निवेशक को उनकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त होने वाले लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक समय भारित प्रतिफल दर (टीडब्ल्यूआरआर) है और आरओआई की गणना के लिए इसी का पालन किया जाना चाहिए। यह निवेश नकदी प्रवाह के समय के अनुसार प्रतिफल को समायोजित करता है और इसका सूत्र/गणना विधि आमतौर पर उपलब्ध है।

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

2. नकद एवं नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नकद (रोकड़) एवं नकदी समतुल्य			
रोकड़ शेष			
बैंक में रोकड़			
चालू खाता एवं बचत खाता में	228.84	825.60	826.25
जमा खाते में (परिपक्वता अवधि 3 माह से कम)	-	-	-
	228.84	**825.60**	**826.25**

3. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
जमाएं (डिपाजिट्स)			
सुरक्षित जमाराशियाँ - एनएसडीएल	10	-	-
	10	-	-

4. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ '000 में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ '000 में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ '000 में)
(I) **अधिकृत शेयर पूंजी** 10 रुपये प्रति शेयर के 1,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000
	1,00,000	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**
(ii) **जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूरी तरह से भुगतान किये गये शेयर** 10 रुपये प्रति शेयर के 1,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000
	1,00,000	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**
(iii) **शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का मिलान** प्रारंभिक शेयर पूंजी	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000	1,00,000	1,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/अधिग्रहण किए गए शेयरों की संख्या, जारी/सब्सक्राइब						
समापन शेयर पूंजी	**1,00,000**	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**	**1,00,000**	**1,000**
(iv) **कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारक के पास मौजूद शेयर**						
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड) 99.994%	99,994	999.94	99,994	999.94	9,994	99.94
अन्य : 0.006%*	6	0.06	6	0.06	6	0.06

* **टिप्पणी:** कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, इसके सदस्यों के रजिस्टर और लाभकारी हित के संबंध में उनसे प्राप्त अन्य घोषणाओं के अनुसार, उपरोक्त शेयर होल्डिंग K-RIDE का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के कानूनी और लाभकारी स्वामित्व दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

क्र.सं	प्रमोटर का नाम	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का % (प्रतिशत)	वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान % (प्रतिशत) परिवर्तन
1.	मैसर्स के-राइड	99,994	100%	99,994	0%
2.	श्री डॉ.रजनीश गोयल #	-	0%	1	-100%
3.	श्रीमती डॉ. शालिनी रजनीश #	1	0%	-	100%
4.	श्री राकेश सिंह #	-	0%	1	-100%
5.	श्री उमाशंकर एसआर #	1	0%	-	100%
6.	श्रीमती डॉ. मंजुला एन #	1	0%	1	0%
7.	श्री एन.एस.श्रीधरमूर्ति #	-	0%	1	-100%
8.	श्री ए.बी.बसवराजू #	1	0%	-	100%
9.	श्री एस.पी.एस.गुप्ता #	-	0%	1	-100%
10.	श्री अजय शर्मा #	1	0%	-	100%
11.	श्री आशुतोष माथुर #	1	0%	1	0%
	कुल	**1,00,000**	**100%**	**1,00,000**	**0%**

* **टिप्पणी:** यह नोट मेसर्स के-राइड की ओर से धारित शेयरों को दर्शाता है।

(vi) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के शेयर हैं, अर्थात् इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, सभी अधिमान्य लेनदारों को वितरण के बाद इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों (या) प्रवर्तकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, जिसमें इसके सदस्यों का रजिस्टर और लाभकारी हित के संबंध में उनसे प्राप्त अन्य घोषणाएं शामिल हैं, उपरोक्त शेयरधारिता के-राइड का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के कानूनी और लाभकारी स्वामित्व दोनों को दर्शाती है।

1. बैलेंस शीट तैयार करने की तिथि से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान,

   (i) नकद भुगतान प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के शेयर अनुबंध के अनुसार पूर्ण रूप से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित नहीं किए गए थे।

   (ii) नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले बोनस शेयरों के रूप में पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों का कोई वर्ग आवंटित नहीं किया गया था।

   (iii) कंपनी द्वारा शेयरों का कोई वर्ग वापस नहीं खरीदा गया था।

2. कोई भी कॉल बकाया नहीं है।

3. कोई भी शेयर जब्त नहीं किया गया है।

5. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजी आरक्षित निधि संचित आय आरंभिक शेष जोड़ें: चालू वर्ष का लाभ/(हानि) जोड़ें: वर्ष की अन्य व्यापक आय	(356.22) (424.64)	(217.27) (138.95)	(68.75) (148.53)
अंतिम शेष	**(780.87)**	**(356.22)**	**(217.27)**

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

6. व्यापार देयताएँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि। (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि। बकाया व्यापार देय राशियों की आयु निर्धारण अनुसूची के लिए नोट 5ए देखें-	-	-	17.56
अंतिम शेष	**-**	**-**	**(17.56)**

7. अन्य चालू देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य देनदारियां	15.00	175.85	22.60
वैधानिक भुगतान:			
स्रोत पर कर कटौती देय	3.27	3.10	1.20
वस्तु एवं सेवा कर देय	1.44	2.88	2.16
अंतिम शेष	**19.71**	**181.83**	**25.96**

8. अन्य व्यय (खर्चे)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
लेखापरीक्षा शुल्क	15.00	10.00
बैंक शुल्क	2.18	0.65
निदेशकों की बैठक का शुल्क	35.40	40.12
मुद्रण एवं स्टेशनरी	213.67	34.81
पेशेवर एवं परामर्श सेवाएं	100.87	43.20
दरें एवं कर	41.44	2.57
आरओसी फाइलिंग शुल्क	6.80	7.60
अन्य कार्यालय रखरखाव व्यय	9.28	-
	424.64	**138.95**

9. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड एएस – 24, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार आवश्यक संबंधित पक्ष प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

संबंध की प्रकृति	**संबंधित पक्ष का नाम**
होल्डिंग कंपनी	रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड)
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	श्री राजेश के सिंह श्री अवधेश मेहता (27-06-2023 से)
नामित निदेशक	
	श्रीमती डॉ. शालिनी रजनीश
	श्रीमती डॉ. मंजुला एन
	श्री गौरव गुप्ता
	श्री आशुतोष माथुर
	श्रीमती अपर्णा ए पावटे
	श्री संजीव कुमार गर्ग
	श्री अजीत कुमार झा
	श्री अंजुम परवेज़
	श्रीमी दीपा कोटनीस
	श्री महेश्वर राव
	श्री उमा शंकर एस आर
	श्री मोहम्मद इकरामुल्ला शरीफ
	श्री आनंद भारती
	श्री. धनंजय सिंह

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
श्रीमती डॉ. मंजुला एन	6.00	4.00
श्री गौरव गुप्ता	-	4.00
श्री आशुतोष माथुर	6.00	8.00
श्रीमती अपर्णा ए पावटे	2.00	-
श्री संजीव कुमार गर्ग	2.00	-
श्री अजीत कुमार झा	-	2.00
श्री अंजुम परवेज़	-	2.00
श्रीमी दीपा कोटनीस	6.00	6.00
श्री महेश्वर राव	6.00	-
श्री उमा शंकर एस आर	2.00	-
श्री मोहम्मद इकरामुल्ला शरीफ	-	2.00
श्री आनंद भारती	-	2.00
श्री. धनंजय सिंह	-	4.00

11. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आकस्मिक देनदारियां:		
क. विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों और अन्य के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में विभिन्न बैंकों को बकाया गारंटी और प्रति–गारंटियां: i. सहायक कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा दी गई गारंटी ii. अन्य बकाया गारंटियों का कुल मूल्य	0.00	0.00
ख. अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है: i. बैंकों के साथ छूट प्राप्त बिलों के संबंध में देयता (तीसरे पक्ष द्वारा बिलों की छूट सहित) शून्य शून्य	0.00	0.00
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.00	0.00
प्रतिबद्धताएं:		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले और प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि:		
क. मूर्त संपत्तियां (केवल स्वीकृत अनुबंध)	0.00	0.00
ख. अमूर्त संपत्ति	0.00	0.00

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

12. अनुपात विश्लेषण		2024-25	%	2023-24	%	% का परिवर्तन
(अ) चालू अनुपात	चालू आस्तियाँ	238.84	12.12	825.60	4.54	167%
	चालू देनदारियां	19.71		181.83		
(आ) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	-		-	-	
	शेयरधारकों की इक्विटी	1,000.00		1,000.00		
(इ) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ईबीआईटीडीए-कैपेक्स	(424.64)		(138.95)		
	ब्याज+मूलधन	-		-	-	
(ई) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	शुद्ध आय	(424.64)	(0.42)	138.95	(0.14)	206%
	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	1,000.00		1,000.00		
(उ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत	-		-	-	
	औसत इन्वेंटरी	-		-	-	
(ऊ) व्यापारिक प्राप्तियों का आवर्तन अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	-		-	-	
	औसत खाता देय	-		-	-	
(ए) व्यापारिक देयताओं का आवर्तन अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	-	-	-	-	
	औसत लेखा प्राप्तियाँ			8.78		
(ऐ) शुद्ध पूंजी आवर्तन अनुपात	शुद्ध बिक्री	-	-	-	-	
	औसत कार्यशील पूंजी	431.45		713.25		
(ओ) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	(424.64)	-	138.95	-	
	विक्रय	-		-		
(औ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी	(424.64)	(1.94)	138.95	(0.22)	798%
	नियोजित पूंजी	219.13		643.78		
(अं) निवेश पर प्रतिफल	लाभ	(424.64)	(0.42)	138.95	(0.14)	206%
	निवेश (लागत)	1,000.00		1,000.00		

अनुपात

(क) चालू अनुपात:

(ख) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

(ग) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(घ) निवेश पर प्रतिफल

पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक परिवर्तन का स्पष्टीकरण:

चालू अनुपात में वृद्धि चालू देनदारियों में कमी के कारण हुई है, जो के-राइड को देय थी। पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि के कारण आरओई में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि के कारण आरओसीई में कमी आई है। : पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि के कारण आरओआई में कमी आई है।

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

13. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित जानकारी

विवरण	2024-25	2023-24
किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि:	0.00	0.00
क) मूलधन	0.00	0.00
ख) उस पर देय ब्याज	0.00	0.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई राशि।	0.00	0.00
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जो भुगतान किया जा चुका है लेकिन निर्धारित तिथि के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	0.00	0.00
उपार्जित और बकाया ब्याज की राशि।	0.00	0.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को नहीं कर दिया जाता, आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि शून्य है।	0.00	0.00

14. वित्तीय उपकरण

31 मार्च 2025 तक वित्तीय उपकरणों का श्रेणीवार वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	
	वहनीय मूल्य	**उचित मूल्य**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - परिशोधित लागत नकद और नकद समतुल्य	228.84	228.84
कुल परिसंपत्तियाँ	228.84	228.84
विवरण	**31 मार्च 2025 तक**	
	वहनीय मूल्य	**उचित मूल्य**
वित्तीय देनदारियाँ - परिशोधित लागत अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ व्यापार देय	- -	- -
कुल परिसंपत्तियाँ	-	-

31 मार्च 2024 तक वित्तीय उपकरणों का श्रेणीवार वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	
	वहनीय मूल्य	**उचित मूल्य**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - परिशोधित लागत नकद और नकद समतुल्य	825.60	825.60
कुल परिसंपत्तियाँ	825.60	825.60
विवरण	**31 मार्च 2025 तक**	
	वहनीय मूल्य	**उचित मूल्य**
वित्तीय देनदारियाँ - परिशोधित लागत अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ व्यापार देय	- -	- -
कुल परिसंपत्तियाँ	-	-

प्रबंधन ने आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, उधार और व्यापार देयताओं का उचित मूल्य उनके वहन मूल्य के लगभग बराबर है, जिसका मुख्य कारण इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता अवधि है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया गया है जिस पर किसी बाध्यता या परिसमापन बिक्री को छोड़कर, इच्छुक पक्षों के बीच वर्तमान लेनदेन में उपकरण का आदान–प्रदान किया जा सकता है।

15. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के निदेशक मंडल की अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के अधीन करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

i. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के चलते किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य घट–बढ़ सकता है। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी जोखिम। बाज़ार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार शामिल हैं।

ii. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के चलते किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य घट–बढ़ सकता है।

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से विभिन्न परिक्रामी और अन्य ऋण लाइनों सहित अस्थिर दर वाले उधार से उत्पन्न होता है। कंपनी के उधार मुख्य रूप से निश्चित दर वाली देनदारियों से बने हैं, जो इसे महत्वपूर्ण ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं बनाते हैं।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि उधार निश्चित दर वाले ऋणों की प्रकृति के हैं और अल्पकालिक ऋण ब्याज मुक्त ऋण है।

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए यह मुद्रा जोखिम से मुक्त है।

iv. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को होने वाले वित्तीय नुकसान का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। यह जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की नकदी, नकदी समतुल्य और अन्य परिसंपत्तियों से उत्पन्न होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है।

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य पर ऋण जोखिम सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर उच्च ऋण रेटिंग वाले बैंकों के साथ लेनदेन करती है।

v. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है कि उसके पास देय होने पर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता हो। कंपनी का कॉर्पोरेट कोषागार विभाग तरलता, वित्तपोषण और निपटान प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की देखरेख वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति के निरंतर पूर्वानुमानों की निगरानी करता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2025 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	-

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	-

पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति निवेशकों, लेनदारों और बाजार के विश्वास को बनाए रखने और व्यवसाय के भविष्य के विकास को जारी रखने के लिए एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है। कंपनी पूंजी पर प्रतिफल और अपने शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी प्रबंधन के दौरान कंपनी का उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है।

कंपनी अपने निधि आवश्यकताओं का प्रबंधन अपने मालिकों से प्राप्त इक्विटी और होल्डिंग कंपनी से लिए गए ऋणों के माध्यम से करती है।

16. उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय उपकरण श्रेणीवार			
	स्तर	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	स्तर 3	-	-
नकद और नकद समतुल्य	स्तर 3	228.84	825.60
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ वित्तीय देनदारियाँ		228.84	825.60
उधार	स्तर 3	-	-
व्यापार देय	स्तर 3	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	स्तर 3	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ		-	-

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) देखे जा सकते हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अदृश्य इनपुट)।

17. खंडीय रिपोर्टिंग

कंपनी एक अवसंरचना परियोजना विकास कंपनी है और इसका गठन विशेष रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु में बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को पूरा करने के लिए किया गया है।

कंपनी वर्तमान में कर्नाटक के भीतर ही कार्यरत है और विभिन्न जोखिम और प्रतिफल वाले आर्थिक परिवेशों में इसके कोई परिचालन/परियोजनाएं नहीं हैं। अतः इसे एक ही भौगोलिक खंड और परिचालन खंड में कार्यरत माना जाता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यावसायिक खंड से संबंधित हैं।

18. पूर्व भुगतान मदें:

5,000/- रुपये से अधिक के पूर्व भुगतान व्यय की व्यक्तिगत मदों को मान्यता दी जाती है।

19. बेनामी लेनदेन

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

20. कंपनी का पंजीकरण रद्द होना

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत पंजीकृत कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

21. अघोषित आय

कंपनी का कोई ऐसा लेन–देन नहीं है, जिसे लेखा–पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रस्तुत या घोषित किया गया हो (जैसे कि तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत)।

22. क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

23. 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सुरक्षा के आधार पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है, इसलिए किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान को त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और अतः ऐसे त्रैमासिक रिटर्न पर प्रकटीकरण की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

24. बैलेंस शीट तिथि के बाद घटित घटनाएँ

बैलेंस शीट तिथि के बाद कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई है। इसलिए, इसे संज्ञान में नहीं लिया गया है।

25. प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य खातों में बताए गए मूल्य से कम नहीं है, यदि उन्हें सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूल किया जाता है।

26. कंपनी ने सभी लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देनों के लिए लेखा सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) कार्यरत था।

27. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, जो 5 अगस्त, 2022 को संशोधित किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों एवं दस्तावेजों के रखरखाव से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखी गई लेखा पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक पुस्तकें एवं दस्तावेज भारत में हर समय सुलभ हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखी गई लेखा पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों एवं दस्तावेजों का बैकअप भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों पर दैनिक आधार पर नहीं रखा गया है।

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स बी.एन. पाई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,फर्म पंजीकरण संख्या 008851S

हस्ताक्षर
(सीए बी. नागेश पाई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 273354

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025
UDIN : 25204014BMHWDU6086

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर
राजेश के सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर
अवधेश मेहता
निदेशक
डीआईएन: 09564884

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

नोट 5–ए : व्यापार देयताएँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:	–	–	–	–	–	–
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	–	–	–	–	–	–
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	–	–	–	–	–	–
(iii) विवादित देयताएँ – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित देयताएँ – अन्य	–	–	–	–	–	–

विवरण	31 मार्च 2024 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:	–	–	–	–	–	–
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	–	–	–	–	–	–
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	–	–	–	–	–	–
(iii) विवादित देयताएँ – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित देयताएँ – अन्य	–	–	–	–	–	–

विवरण	31 मार्च 2023 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:	–	–	–	–	–	–
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	17.56	–	–	–	–	17.56
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	–	–	–	–	–	–
(iii) विवादित देयताएँ – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित देयताएँ – अन्य	–	–	–	–	–	–

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये हजार में हैं)

पहली बार भारतीय लेखापरीक्षण मानकों (IND AS) को अपनाना

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के ये स्वतंत्र वित्तीय विवरण भारतीय लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। यह कंपनी के भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का पहला सेट है। भारतीय लेखा मानकों (IND AS) में संक्रमण के उद्देश्य से, कंपनी ने IND AS 101 – भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शन का पालन किया है, जिसमें संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल 2023 है और IGAAP पूर्व GAAP के रूप में है।

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, उनके नोट्स में प्रकटीकरण और लेखांकन नीतियों एवं सिद्धांतों में परिवर्तन हुए हैं। नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और तुलनात्मक जानकारी तैयार करने में लागू किया गया है। पूर्व IGAAP से IND AS में परिवर्तन ने कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण और IND AS को पहली बार अपनाने पर IND AS 101 के अनुसार नीचे दिए गए विवरण में किस प्रकार प्रभाव डाला है, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है।

समाधान

निम्नलिखित समाधान IND AS 101 के अूसार IGAAP से IND AS में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं:

क) 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 को इक्विटी

ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय

ग) 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 को कुल इक्विटी

घ) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ

(क) इक्विटी का मिलान

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
पिछले GAAP के अनुसार रिपोर्ट की गई इक्विटी	6,43,777	7,82,726
इंड एएस समायोजन	-	-
उचित मूल्य समायोजन:	-	-
इंड एएस के अनुसार इक्विटी:	**6,43,777**	**7,82,726**

(ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

विवरण		31 मार्च 2023
पिछले GAAP के अनुसार कर पश्चात लाभ		1,38,950
इंड एएस समायोजन		
उचित मूल्य समायोजन:		-
इंड एएस के अनुसार कर पश्चात शुद्ध लाभ		-
अन्य व्यापक आय (कर रहित)		1,38,950
इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय		**(1,38,950)**

मिलानों के लिए टिप्पणियाँ पूर्व GAAP और Ind AS

महत्वपूर्ण पुनर्वर्गीकरण

इन वित्तीय विवरणों में, जहां भी आवश्यक हो, आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की संबंधित मदों के पुनर्वर्गीकरण द्वारा उचित समायोजन किए गए हैं, ताकि इन्हें भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की आवश्यकताओं के अनुरूप लाया जा सके। वित्तीय विवरणों में दिए गए तुलनात्मक आंकड़े पूर्व जीएएपी के तहत संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवश्यक इंड एस समायोजन करने के बाद संकलित किए गए हैं, ताकि इंड एस के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

आईजीएएपी के तहत पहले रिपोर्ट की गई इक्विटी का इंड एएस से मिलान

विवरण	31.3.24 को समाप्त वर्ष के लिए पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस	31.3.23 को समाप्त वर्ष के लिए पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.23 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस
परिसंपत्तियां		-			-	
गैर-चालू परिसंपत्तियां		-			-	
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-			-	
(ख) चल रहे पूंजीगत कार्य		-			-	
(ग) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां		-			-	
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां		-			-	
(ङ) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां		-			-	
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-			-	
(ii) निवेश		-			-	
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-			-	
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ(शुद्ध)		-			-	
(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		-			-	
कुल		-			-	
		-			-	
चालू परिसंपत्तियाँ		-			-	
(क) भंडार		-			-	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-			-	
(I) व्यापार प्राप्य		-			-	
(ii) नकद और नकद समतुल्य	**825.60**	-	**825.60**	**826.25**	-	**826.25**
(iii) अन्य बैंक शेष						
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)						
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ						
कुल	**825.60**	-	**825.60**	**826.25**	-	**826.25**
कुल परिसंपत्तियाँ	825.60		825.60	826.25	-	826.25
II. इक्विटी और देनदारियां						
(1) इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी						
ख) अन्य इक्विटी	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
कुल इक्विटी	(356.22)	-	(356.22)	(356.27)	-	(356.27)
(2) देनदारियां	643.78	-	643.78	782.73	-	782.73
(i) गैर-चालू देनदारियां						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(I) उधार		-			-	
(ii) पट्टा देनदारियां		-			-	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां		-			-	
(ख) अन्य गैर-चालू देनदारियां		-			-	
(ग) गैर-चालू प्रावधान		-			-	
कुल		-			-	
ii) चालू देनदारियां		-			-	
(क) वित्तीय देनदारियां		-			-	
(I) उधार		-			-	
(ii) पट्टा देनदारिया		-			-	
(iii) व्यापार देय		-			-	
- एमएसएमई की कुल बकाया राशि		-			-	
- एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-		17.56	-	17.56
(ख) अन्य चालू देनदारियां	181.83	-	181.83	25.96	-	25.96
(ग) चालू प्रावधान		-			-	
कुल	**181.83**	-	**181.83**	**43.52**	-	**43.52**
कुल इक्विटी और देनदारियां	**825.60**	-	**825.60**	**826.25**	-	**826.25**

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स

लाभ और हानि विवरण पर प्रभाव के लिए पिछले जीएएपी तथा इंड–एएस के बीच सामंजस्य

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.3.24 को समाप्त वर्ष के लिए पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्त वर्ष के लिए इंड–एएस
राजस्व:			-	
परिचालन से राजस्व		-	-	-
अन्य आय		-	-	-
कुल आय		-	-	-
व्यय:			-	
परिचालन व्यय			-	
कर्मचारी लाभ व्यय			-	
वित्त लागत			-	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			-	
अन्य व्यय	8	138.95	(0.00)	138.95
कुल व्यय		**138.95**	**(0.00)**	**138.95**
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ		(138.95)	(0.00)	(138.95)
असाधारण मदें				
कर से पूर्व लाभ		**(138.95)**	**(0.00)**	**(138.95)**
कर व्यय:				
(1) चालू कर				
(2) आस्थगित कर			-	
कर पश्चात लाभ (138.95) 0.00 (138.95)		**(138.95)**	**(0.00)**	**(138.95)**
अन्य व्यापक आय/(हानि)				
ए. (ळ) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	
(ळळ) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				-
बी. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा				-
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	**(138.95)**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (बी-राइड) के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, बेंगलुरु (बाई-राइड) के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने यह कार्य 1 दिसंबर 2025 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है, जो उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (6 अक्टूबर 2025) का स्थान लेती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, बेंगलुरु (बाई-राइड) के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षण किया है। यह पूरक लेखापरीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को देखते हुए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर मैं कोई और टिप्पणी या पूरक जानकारी नहीं देना चाहता।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(अशोक सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
कर्नाटक, बेंगलुरु

स्थानः बेंगलुरु
दिनांकः 19.12.2025

कॉरिडोर – 4 प्रगति अपडेट (हीलालिगे से राजनकुंटे) कनक लाइन

कास्टिंग यार्ड में बैचिंग प्लांट की स्थापना, लघु पुल निर्माण तथा कॉरिडोर-4 के लिए मिट्टी का काम प्रगति पर है।

SEMU (एसईएमयू)- प्रगति अपडेट कॉरिडोर-2 और कॉरिडोर-4

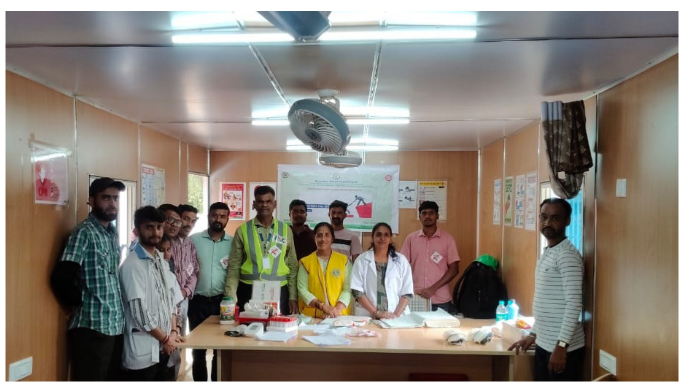

विश्व एड्स दिवस जागरूकता कार्यशाला, रक्तदान शिविर, मासिक एसएचई (SHE) बैठक
और एमईएसए (MESA)- ऑडिट गतिविधियों की झलकियाँ

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

बेंगलुरू इंटीग्रेटेड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर),
ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर, पहला ब्लॉक, बैंगलोर – 560010